अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 90 सन् 2017

विरेन्द्र कुमार सिंह .....वादी
बनाम
अभय कुमार सिंह व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–
24.10.2019

उभय पक्षों की हाजिरी दी गई। अभिलेख को वादी के आवेदन दिनांक 08.03.2019 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी द्वारा एक आवेदन आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने हेतु लाया गया है, क्योंकि तकरारी एराजी वादी की खानदानी संपत्ति है एवं वह उनके दखल कब्जे में है, जबकि वादी वृद्ध व्यक्ति है एवं प्रतिवादीगण का उनसे कोई संबंध नहीं है।

वादी का आगे कथन है कि प्रतिवादी का ब्यान पूर्णतः गलत है कि वादी के पूर्वज से उन्होंने तकरारी एराजी का बैनामा लिखवाया है, जबकि वादीगण का शांतिपूर्वक दखल कब्जा तकरारी संपत्ति पर है अतः सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है एवं चूंकि संपत्ति वादी की खानदानी संपत्ति है अतः प्रथम दृष्टया मामला भी वादी के पक्ष में बनता है और यदि इंतनाई

का आदेश प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित नहीं किया जाता है तो इससे वादी को अपूर्णिय क्षति होगी।

वादी के इंतनाई आवेदन का कारण पृच्छा प्रतिवादी सं0 3 से 8 की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें उनका कहना है कि इंतनाई का आवेदन खारिज योग्य है, क्योंकि प्रतिवादीगण ने जो अपना ब्यान तहरीरी दाखिल किया है उसमें उन्होंने संपत्ति के वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है।

प्रतिवादीगण का आगे कथन है कि अर्जीदावे के कंडिका 10 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन के पूरब तरफ एक कुंआ है जिससे ग्रामीण पानी भरने हेतु विवादित भूमि से होकर जाते हैं तथा प्रतिवादी सं0 3 ने अपने हकियत की व दखली भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 एवं 2 के नाम से निबंधित बैनामा दिनांक 21.07.1999 तहरीर कर दिया है एवं उनका दखल कब्जा भी उक्त भूमि पर करवा दिया है अतः वादी का कोई प्राईमा फेशी मामला नहीं बनता है और उनका आवेदन खारिज योग्य है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादी ने वर्तमान वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की डिक्री हेतु लाया है जबकि अभिलेख वर्तमान में वादी के साक्ष्य हेतु लंबित है एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि मामला किसके पक्ष में बनता प्रतीत होता है अतः वाद के इस प्रक्रम पर यह नहीं कहा जा सकता कि वाद प्रथम दृष्टया किसके पक्ष में बनता है या सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है अतः यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं होने

से वादी को कोई अपूर्णिय क्षति होगी या नहीं।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में वादी का निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किया जाता है।

वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19.11.2019

सब जज
सोनपुर सारण।